राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –972/2014/बांसवाडा

जमना लाल पुत्र श्री पन्ना लाल
तहसील–मेधनगर जिला झाबुआ — अपीलार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर
2.कृष्ण सिंह तंवर पुत्र अमर सिंह
विजय इन्जीनियरिंग वर्क्स 43–44,बी. इण्डस्ट्रीज,दाहोद रोड
बांसवाडा एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थितः
श्री दयालपुरी गोस्वामी
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 23.01.2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9–ए(क) के अन्तर्गत आयुक्त, आबकारी राजस्थान,उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.29(बी)/अपील/13/आब//2014/602 दिनांक 24.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानात के बन्दोबस्त के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से नगर परिषद,बांसवाडा की 8 दुकानों हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला कलक्टर,बांसवाडा की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2014को श्री जमनालाल पुत्र श्री पन्ना लाल,निवासी 25,पतरा गुवाली तहसील मेधनगर जिला झाबआ (म.प्र.) का भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर बुकान हेतु चयन हेतु एक दुकान के लिए सफल आवेदक के रूप में किया गया। प्रथम आरक्षित श्री कृष्ण सिह तंवर पुत्र अमर सिंह तंवर, विजय इन्जीनियरिंग वर्क्स, 43–44बी, इण्डिस्ट्रीयल एरिया, दाहोद, बांसवाडा ने जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा के कार्यालय में दिनांक 12.03.2014 को एक परिवाद प्रस्तुत कर अवगत कराया कि श्री जमनालाल पुत्र पन्ना लाल के विरूद्ध पिछले चार वर्ष से आपराधिक प्रकरण संख्या 479/2010 दिनांक 26.07.2010 धारा 34 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी थदंला जिला झाबुवा (म.प्र.) में विचाराधीन है,इसलिए श्री कृष्ण सिंह ने निवेदन किया कि श्री जमनालाल को लॉटरी से भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर दुकान के चयन को निरस्त कर प्रथम आरक्षित होने से उक्त मदिरा दुकान मुझे आवंटित की जावे।

उक्त परिवार के क्रम में श्री जमनालाल पुत्र पन्नालाल को व वादी को जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु

अवसर दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात श्री कृष्ण सिंह पुत्र अमर सिंह तंवर,विजय इन्जीनियरिंग वर्क्स, 43—44बी, इण्डिस्ट्रीयलज एरिया, दाहोद, बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत आवेदन को जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2014 से निरस्त कर दिया।

जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व रेस्पान्डेन्ट श्री जमनालाल के विद्वान अभिभाषक ने अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र आयुक्त,आबकारी,राजस्थान, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की,जिस पर पक्षकारों की बहस सुनकर आयुक्त,आबकारी,राजस्थान, उदयपुर अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 7.3,जो निम्न प्रकार है, के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है:—

"7.3यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से, मदिरा,अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादब पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका सम्बन्ध हैं जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का सन्देह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।"

आयुक्त,आबाकरी, उदयपुर द्वारा अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 3292/2014 पेश की गयी । पिटीशनर द्वारा रिट पिटी विड्रा करने एवं वैकल्पिक उपचार (alternative remedy) अधिनियम की धारा 9—ए(बी) के अन्तर्गत स्वीकृति मांगे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Writ petition is dismissed as withdrawn with liberty aforesaid.** उसका निवेदन स्वीकार कर लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को लिबर्टी दिये जाने के आलोक यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या दो के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा को शिकायत की गई कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 479/10 दिनांक 26.07.2010 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद दर्ज है,अतः अपीलार्थी को जारी किया गया अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाये। उनका कथन है कि जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा द्वारा उक्त शिकायत पत्र की जांच एवं आबकारी निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को भारत निर्मित मदिरा एवं बीयर दुकान नगर परिषद,बांसवाड के आवंटन हेतु अपात्र नहीं मानकर आदेश दिनांक 25.03.2014 पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या दो के शिकायती आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया,जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या दो के द्वारा आयुक्त,आबकारी के समक्ष अपील संख्या 13/14 प्रस्तुत

करने पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयुक्त,आबकारी द्वारा दिनांक 23.04.2014 को आदेश पारित कर अनुज्ञापत्र की संख्या 7.3 के प्रावधानानुसार स्वीकार करते हुए जिला आबकारी अधिकारी,बांसवाडा को निर्देश दिये कि नियमानुसार प्रथम रिजर्व पार्टी को अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही के निर्देश देना अनुचित एवं अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा आयुक्त,आबकारी के आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3292/2014 प्रस्तुत कर की गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आबकारी अधिनियम,1950 की धारा 9ए (बी) के अन्तर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार (availing alternative remedy) प्राप्त करने हेतु रिट विड्रा करने की अनुमति मांगे जाने पर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2014 को अनुमति दिये जाने अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 10.06.2014 को कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की है,जिसे ग्राह्य मानकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने की प्रार्थना की गई ।

प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आयुक्त,आबकारी के आदेश पारित करने की दिनांक से 60 दिन के भीतर अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत करनी चाहिए थी,जो नही की गई,इसलिए समयावधि के बाहर जाकर अपील प्रस्तुत की गई है,जो ग्रहण योग्य नही है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर ग्राह्य नहीं होने का कथन करते हुए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की गई ।

प्रत्यर्थी संख्या दो की ओर विद्वान अभिभाषक श्री वी.सी.सोगानी ने उपस्थित होकर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन का समर्थन किया। उनका यह भी कथन है कि आयुक्त,आबकारी,उदयपुर द्वारा अपील संख्या 13/13 द्वारा निर्णय दिनांक 23.04.2014 को प्रत्यर्थी संख्या दो के हम में पारित किया गया है और उसे इस बात की शंका है कि श्री जमनालाल पुत्र श्री पन्ना लाल माननीय कर बोर्ड गें रिवीजन/अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर सकता है, अतः प्रथम दृष्टया ग्रहण करने से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या दो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाये।

दोनों पक्षों की बहस की गई,उपलब्ध रिकार्ड एवं अधिनियम के प्रावधानों पर मनन किया गया। अधिनियम की धारा 9ए(1) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर (पूर्व में राजस्व मण्डल) के समक्ष 60 दिन में अपील करने का प्रावधान किया गया है और आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई अधिकार खण्डपीठ करेगी।

उक्त तथ्यों के आलोक में पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्यर्थी संख्या दो के विरूद्ध दिनांक 23.04.2014 को आदेश पारित किया गया है,जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर में रिवीजन प्रस्तुत की गई । तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में आबकारी अधिनियम,1950 की धारा 9ए (बी) के अन्तर्गत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार (availing alternative remedy) प्राप्त करने हेतु रिट विड्रा करने की अनुमति मांगे जाने पर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2014 को अनुमति प्रदान की गई। अपीलीर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिऐ गए निर्देशों की पालना में राजस्थान कर बोर्ड में अपील दिनांक 10.06.2014 को प्रस्तुत की गई,जो समयावधि में है, अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर बोर्ड में अपील 60 दिन के अन्तर प्रस्तुत करने का प्रावधान है जबकि क्योंकि हस्तगत प्रकरण में आयुक्त, आबकारी का आदेश दिनांक 23.4.2014 को पारित किया गया है,जिसके विरूद्ध कर बोर्ड में अपील दिनांक 22.06.2014 तक प्रस्तुत की जा सकती थी। अतः विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह कथन कि अपील समयावधि में नहीं है,स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कर बोर्ड में अपील 60 दिन के अन्तर प्रस्तुत करने का प्रावधान है की जा सकती है और हस्तगत प्रकरण में आयुक्त,आकारी का आदेश दिनांक 23.4.2014 को पारित किया गया है,जिसके विरूद्ध कर बोर्ड में अपील दिनांक 22.06.2014 तक प्रस्तुत की जा सकती थी।

प्रकरण के तथ्यें पर समग्र रूप से विवेचन एवं अधिनियम के प्रावधानों को अवलोकन करने के पश्चात यह पीठ अपील को सुनवाई हेतु ग्राह्य मानती है। अतः प्रकरण स्थगन एवं गुणावगुण पर सुनवाई हेतु खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 27/3/15 को प्रस्तुत हो।

अपील सुनवाई से पूर्व पक्षकारों जरिए नोटिस सूचित किया जाये।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष